



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 827]
No. 827]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2003/भाद्र 19, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2003/BHADRA 19, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

(राष्ट्रीय आवास बैंक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2003

का.आ. 1047(अ).— राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केन्द्र सरकार के परामर्श से, निदेशक मंडल, राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली, 1988 में संशोधनार्थ एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- 1 (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2 (क) राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली, 1988 में, विनियम 5 के उप-विनियम (1) में "तीन से अधिक निदेशकों" इन शब्दों के स्थान पर "पांच से अधिक निदेशकों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) उप-विनियम 5 में, "उनमें से किन्हीं तीन द्वारा अनुमोदित" इन शब्दों के स्थान पर "उनमें से किन्हीं चार द्वारा अनुमोदित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एन एच बी/एल डी/अधिनियम 2003]

वी. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणी : मुख्य विनियमावली का.आ. 935(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 1988 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, जिनमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

134

[PART II—Sec. 3(i)]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BANKING DIVISION)
(NATIONAL HOUSING BANK)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2003

S.O. 1041(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the National Housing Bank General Regulations, 1988, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank General (Amendment) Regulations, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. (a) In the National Housing Bank General Regulations, 1988, in regulation 5, — in Sub-regulation (1), for the words "not more than three directors", the "words not more than five directors" shall be substituted.
- (b) In Sub-regulation (5), for the words "approved by any three of them", the words "approved by any four of them" shall be substituted.

[F. No. NHB/LD/Act-2003]

V SRIDAR, Chairman and Managing Director

Note:— The principal regulations were published vide S.O. 935 (E) dated 8th October, 1988 in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), which has not been amended so far.